कार्यालय –जिला एवं सत्र न्यायालय, रायपुर (छ.ग.)

/विज्ञापन/

क्रमांक 2445/तीन–03–04/2009 रायपुर, दिनांक 10/11/2022

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25.11.2022 के कार्यालयीन कार्य दिवस में 5.00 बजे तक

कार्यालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश,रायपुर के अंतर्गत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियेां क्रमशः **चौकीदार वाटरमेन तथा स्वीपर** के निम्नांकित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र कार्यालयीन कार्य दिवसों में आमंत्रित किये जातें हैं :–

रिक्त पदों का विवरण :–

क्र.	रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित पद			
			अनुसूचित जनजाति				अनुसूचित जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				सामान्य वर्ग			
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी(कलेक्टर दर पर)																		
1	आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी(चौकीदार, वाटरमेन तथा स्वीपर प्रत्येक– 08 पद कुल 24 पद	24	01	–	–	–	03	01	–	01	02	–	–	–	07	04	02	03

शैक्षणिक योग्यता :–

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से **न्यूनतम कक्षा–5वी की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा अधिकतम योग्यता 10 वीं होना चाहिए** । सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें, साथ ही यदि किसी अन्य कार्य में विशेषज्ञता रखते हों जैसे ड्रायवर, कुक, इलेक्ट्रिशियन,फर्राश, माली एवं प्लम्बर हो तो उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी ।

नोट :–आवेदकों की अधिकतम योग्यता 10वीं कक्षा/हाईस्कूल उत्तीर्ण होनी चाहिए अतः 10वीं कक्षा/हाईस्कूल उत्तीर्ण से अधिक योग्यता रखने वाले आवेदक आवेदन न करें ।

आवेदक यदि कोई विशेष योग्यता रखतें हैं जैसे (वाहन चालक, माली, ईलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कुक) तो आवेदनपत्र के साथ उन्हें विशेष योग्यता प्रमाणपत्र भी संलग्न करना होगा ।

आवेदन पत्र उचित रूप से पाये जाने मात्र से आवेदक साक्षात्कार के लिये आहूत किये जाने का अधिकारी नहीं होगा । रिक्त पदों एवं उचित पाये गये आवेदनपत्रों की संख्या को देखते हुए माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रायपुर के व्दारा साक्षात्कार के लिए पात्रता निर्धारण हेतु नियम/प्रकिया विहित की जा सकेगी एवं तत्संबंध में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा तथा आवश्यकता होने पर ही साक्षात्कार लिया जावेगा । अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित कराने का अधिकार सुरक्षित होगा।

वेतनमानः– रायपुर जिले में लागू कलेक्टर दर के अनुसार देय ।

अन्य शर्तें :–

1– आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए ।

2– प्रत्येक अभ्यथी पात्र होंगें जिनकी आयु दिनांक 01.11.2022 को 18 वर्ष से 30 वर्ष के मध्य होगी परन्तु छ0ग0 के मूल निवासियों के लिये की आयु कुल मिलाकर 40 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी ।

3– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग, महिला एवं निशक्तजनों को राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छुट की पात्रता होगी :–

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 05 वर्ष
2. महिला अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष ।

4– आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये स्थायी जातिप्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अनारक्षित वर्ग के विरूद्ध विचारित किया जावेगा ।

5– आरक्षित पद के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 29.06.2013 में दिये गये प्रारूप के अनुसार जाति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किया जावेगा ।

6– एक से अधिक पति/पत्नी न हो, अन्यथा वे नियुक्ति हेतु अनर्ह होंगे ।

7– टंकित अथवा हस्तलिखित पूर्णतः भरे हुये आवेदन पत्र प्रारूप अनुसार हस्ताक्षरित कर स्व–प्रमाणित समस्त शैक्षणिक तथा जन्मतिथि के प्रमाण से संबंधित दस्तावेज(यथा जन्म/आयु प्रमाण पत्र तथा 5वीं एवं 10वीं कक्षा प्रमाण पत्र) जाति एवं अनुभव प्रमाण पत्रों सहित बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद ''**आकस्मिकता स्थापना में जिलाध्यक्ष दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारी के पद हेतु आवदेन पत्र –वाटरमेन, चौकीदार, माली अथवा स्वीपर लिखा हो,** आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे । **एक पद के लिये एक ही आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जावे, यदि एक आवेदनपत्र में एक से अधिक पदों का उल्लेख किया जाता है तो उस आवेदनपत्र को निरस्त कर दिया जावेगा।** उपरोक्त आवेदन पत्र कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर के कार्यालय में रखे बॉक्स पर केवल शासकीय कार्यदिवसों में डाले जा सकेगें । **पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा ।** **दिनांक 25.11.2022** की **संध्या 5.00** बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा । आवेदन पत्र

के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति , निवास विकलांगता आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा ।

8– विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर के शासकीय वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/raipur में किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिये गये आवेदन पत्र के प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है ।

9– विज्ञापन द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायंगे । प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र स्वमेय निरस्त माना जावेगा । अपूर्ण अथवा बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । आवेदक किस पद हेतु आवेदन कर रहा है उसका आवेदन पत्र में उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाना अनिवार्य है । आवेदन जमा करने के पश्चात् किसी अन्य दस्तावेज को पृथक से स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

10– प्रत्येक आवेदक अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता की स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् किसी भी समय आवेदक की ओर से शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाई जाती है तो, चयन प्रकिया के किसी भी स्तर पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में, नियुक्ति किसी भी समय निरस्त/समाप्त की जावेगी । आवेदक की नियुक्ति के पश्चात् उक्त तथ्य के आधार पर ही उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा ।

11– नियुक्ति हेतु चयन प्रकिया, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति द्वारा सम्पन्न की जावेगी तथा आवेदन पत्रों की छटनी उपरांत अर्ह उम्मीदवारों का आवश्यकता होने पर साक्षात्कार लिया जावेगा । इस समिति को चयन प्रकिया निर्धारित करने का अधिकार होगा तथा इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा । **यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आवेदनपत्र प्रस्तुंत कर देने मात्र से अभ्यर्थी साक्षात्कार का हकदार नहीं हो जावेगा ।**

12– आवेदनों की छंटाई पश्चात् पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जिला न्यायालय, रायपुर की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/raipurपर अपलोड किया जावेगा । **अभ्यर्थी द्वारा पात्र/अपात्र के संबंध में प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर आपत्ति की जा सकेगी** । तत्पश्चात् अंतिम पात्रता सूची भी जिला न्यायालय की वेबसाईड में घोषित की जावेगी । दावा आपत्ति की अंतिम तिथि एवं साक्षात्कार तिथि जिला न्यायालय रायपुर की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/raipur पर अपलोड किया जावेगा । दावा आपत्ति की अंतिम तिथि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

13– अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ प्राप्त प्रवेश पत्र में स्वयं का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर पहचान पत्र (यथा ड्राईविंग लायसेंस/वोटर आई.डी./आधार कार्ड/पैन कार्ड) एवं शैक्षणिक योग्यता व विशेष योग्यता संबंधी दस्तावेज की मूल प्रति के साथ साक्षात्कार हेतु उपस्थित रहना होगा । उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा ।

14– साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची जारी की जावेगी, जिसके साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी ।

15– साक्षात्कार में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता दी जावेगी अर्थात जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी ।

16– चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होंगी तथा उनकी सेवाओं की आवश्यकता न होने पर कभी भी बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।

17– प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें ।

यदि आवेदनपत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी । त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा ।

18– जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं आवश्यक जांच एवं परीक्षण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उसकी उम्मीदवार किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार चयन समिति सुरक्षित रखती है ।

19– आवश्यकतानुसार रिक्त पदों की संख्या घटायी/बढ़ायी जा सकती है ।

रायपुर
दिनांक .10/11/2022

सही/–
अध्यक्ष
चयन समिति
जिला न्यायालय, रायपुर

आवेदन पत्र का प्रारूप

(आकस्मिकता निधि से वेतनपाने वाले कर्मचारी
(वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर, माली के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप)

प्रति,

स्वप्रमाणित वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
<u>रायपुर (छ0ग0)</u>

1. आवेदित पद का नाम :...
2. आवेदक का पूरा नाम(हिन्दी में)
3. लिंग– पुरूष संकेतक–1, महिला संकेतक–2 [ ]
4. पिता/पति का नाम :...
5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :...
   (हिन्दी में) :...
   (ब) स्थाई पता :...
   ....
   ....
6. (अ) जन्म तिथि(अंकों में) [| | | | | | |]
   (शब्दों में) :...
7. दिनांक 01.11.2022 की स्थिति में आयु :–
8. आवेदक का मोबाईल नम्बर :...
9. क्या अवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है ? हॉ / नहीं [ ]
   (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करे)
10. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिये घोषित अनुसूचित जाति/
    अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हॉ / नहीं [ ]
    (यदि हॉ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
11. क्या आप विवाहित हैं? हां/नहीं
12. क्या आवेदक के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई

दाण्डिक प्रकरण दर्ज किया गया है अथवा लंबित है?

(हॉ/नहीं) (यदि हॉ तो स्पष्ट विवरण दे)

13. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :–

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड का नाम	विषय	प्राप्तांक /पूर्णांक	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
नोटः– जिन आवेदकों का कक्षा 5वीं में ग्रेडिंग सिस्टम है तथा अंक सूची में प्रतिशत का उल्लेख नहीं है, वे आवेदक अपनी संबंधित शाला से उनके 5वीं में प्रतिशत संबंधी प्रमाणपत्र लेकर अंकसूची के साथ प्रस्तुत करें ।						

14. विशेष योग्यता यदि हो तो :– ....
. ...

(प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें) :–––––––––––––––––––––––

15. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे सत्यापित दस्तावेजों का विवरण :–

1.. 2..

3...4..

5...6..

धोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता है कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीद्वारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी ।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर–

नाम एवं पूरा पता–

मोबाईल नं.

ई–मेल

कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)

:–प्रवेश पत्र:–

(आकस्मिकता निधि से वेतनपाने वाले कर्मचारी

(वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर, माली के पद हेतु)

आवेदक का
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज फोटो

आवेदक का पंजीयन क्रमांक	
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	

आवेदित पद का नाम :– ––––––––––––––––––––––

अभ्यर्थी का नाम :– ––––––––––––––––––––––

पिता / पति का नाम :– ––––––––––––––––––––––

वर्ग–(अना. / अजा. / अ.ज.जा / अ.पि.व) :– ––––––––––––––––––––––

परीक्षा तिथि :– ––––––––––––––––––––––

समय :– ––––––––––––––––––––––

साक्षात्कार केन्द्र :– ––––––––––––––––––––––

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर